हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

दशम् सत्र

समाचार भाग-1

संख्या : 89

सोमवार, 1 दिसम्बर, 2025/10 मार्गशीर्ष, 1947(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 02.00 बजे (अपराह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में 02.00 बजे अपराह्न आरम्भ हुई।

व्यवस्था का प्रश्न

माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने प्रश्नकाल आरम्भ होने से पहले ही एक जनहित से जुड़ा हुआ विषय सदन में उठाने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया परन्तु अध्यक्ष महोदय ने पूर्व में लिए गए निर्णय का हवाला देते हुए उन्हें अपना विषय प्रश्नकाल के तुरन्त बाद उठाने हेतु समय देने का आश्वासन दिया।

1. प्रश्नोत्तर:

(1) तारांकित :

तारांकित प्रश्न संख्या : 2627, 3082 व 3137 (स्थगित) तथा तारांकित प्रश्न संख्याः 3616 से 3619 के उत्तर पर माननीय सदस्यों द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा मा0 मुख्य मन्त्री/संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या : 3620 से लेकर 3666 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(2) **अतारांकित :**

अतारांकित प्रश्न संख्या :, 1344 व 1351 (स्थगित) तथा अतारांकित प्रश्न संख्या : 1475 से 1486 तक के उत्तर सभापटल पर रखे गए।

व्यवस्था का प्रश्न

माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने अपना विषय उठाते हुए कहा कि विधान सभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। विपक्ष ने दिनांक 27 दिसम्बर, 2025 को एक विषय उठाया था जिसका आज भी थोड़ा जिक्र हुआ है कि चुने हुए जन-प्रतिनिधि होने के नाते उन्हें विधायक क्षेत्रीय विकास निधि बजट में एलोकेटिड है और बजट बुक में प्रावधान के तहत वह उन्हें मिलनी चाहिए। अपने क्षेत्र के विकास के लिए उनके पास एकमात्र जरिया विधायक क्षेत्रीय विकास निधि है। सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास निधि की सिर्फ दो इंस्टालमैंट्स जारी की हैं लेकिन बहुत दुःख की बात है कि इसमें भी ऐसा है कि जो पैसा विधायक स्वीकृत करके भेज रहे हैं वह पैसा रिलीज नहीं हो रहा है। क्या माननीय मुख्य मंत्री इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि शीघ्र पैसा रिलीज किया जाए ताकि विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों में जो विकास कार्यों हेतु सिफारिश की है उसमें पैसा लग सके?

दूसरा, हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि राष्ट्रीय स्तर पर खेल के क्षेत्र में हिमाचल का प्रदर्शन अच्छा रहा है। यहां से क्रिकेट जगत में रेणुका ठाकुर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। वे उनको बधाई देते हैं और भारतीय क्रिकेटर सुषमा जी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्हें पहले ही डी0एस0पी0 रैंक पर नियुक्ति दी जा चुकी है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने रेणुका ठाकुर को एक करोड़ देने की घोषणा की है। इसी तरह वर्ष 2025 में महिला कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ, जिसमें हिमाचल प्रदेश से पांच बेटियों ने भाग लिया। इस टीम की कैप्टन ऋतु नेगी जिला सिरमौर के शिलाई क्षेत्र से संबंध रखती हैं। इतिहास में हमारा देश पहली बार कबड्डी में महिला वर्ल्ड कप जीत कर लाया है और इस टीम में हिमाचल प्रदेश की बेटियों का बहुत बड़ा योगदान है। क्या मुख्य मंत्री जी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि उन बेटियों को आर्थिक रूप से सम्मानित करते हुए उन्हें सरकारी क्षेत्र में नौकरी दी जाए?

माननीय मुख्य मंत्री ने उक्त विषय के संदर्भ में कहा कि उनका मानना यह है कि अभी आर्थिक स्थिति थोड़ी गंभीर है। वे तो यह सोच रहे हैं कि विधायक रोज़ ही पूछते हैं कि बढ़ा हुआ पैसा कब देंगे। उनकी पेंशन इस महीने खाते में पड़ जाए तो भी गनीमत होगी। इसकी संभावना अभी कम ही लग रही है और जो ऐच्छिक व विधायक निधि की बात है इसके लिए थोड़ा जनवरी तक इंतजार करना पड़ेगा। अगर केन्द्रीय वित्त मंत्री कुछ सहयोग देंगे तभी वे उसके बारे में आगे कुछ कह सकते हैं। लेकिन अभी प्रदेश की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है।

दूसरा, विपक्ष के नेता ने जो हमारी बेटियां कबड्डी खेलने गई हैं उनके बारे में पुरस्कार संबंधी मुद्दा उठाया है। उन्हें भी पता है कि उन्हें कितना पुरस्कार मिलना है। जैसे ही राज्य सरकार अपना कार्यक्रम करेगी तो उस समय उनको आनुपातिक आधार पर नियमानुसार प्राइस बांटा जाएगा।

माननीय मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

माननीय मुख्य मंत्री ने प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनरों की देनदारियों के संबंध में विस्तारपूर्वक वक्तव्य दिया कि कांग्रेस सरकार हमेशा से कर्मचारियों और पेंशनरों की हितैषी रही है। जब उनकी सरकार सत्ता में आई थी तो पिछली सरकार ने कर्मचारियों के वेतन व पेंशन एरियर की 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की देनदारियां छोड़ी थीं। सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर 75 वर्ष या इससे अधिक उम्र के पारिवारिक पेंशनरों को उनके बकाया पेंशन/ पारिवारिक पेंशन एरियर का पूरा भुगतान कर दिया है। सरकार ने 70 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को उनके बकाया पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 70 प्रतिशत एरियर का भुगतान कर दिया है। इन पेंशनरों के बकाया 30 प्रतिशत एरियर का भुगतान इसी वित्तीय वर्ष में कर दिया जाएगा।

राज्य को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार ने कुछ आर्थिक फैसले लिए हैं, इन फैसलों का लाभ धीरे-धीरे दिखाई देगा और जैसे ही राजस्व में सुधार होगा, कर्मचारियों व पेंशनरों के एरियर आदि की देनदारियों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। कर्मचारियों एवं पेंशनर्ज से

अपेक्षा है कि वे प्रदेश की गंभीर वित्तीय स्थिति को देखते हुए सरकार के द्वारा प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु किए जा रहे प्रयासों में सरकार को सहयोग दें।

शून्यकाल

(1) **माननीय सदस्य श्री जीत राम कटवाल** ने शून्य काल में शिशु कल्याण परिषद में कार्यरत सेविकाओं को पिछले दो वर्ष से देय वेतनमान की अदायगी न होने से उत्पन्न स्थिति के बारे मामला सदन में उठाया।

मा0 मुख्य मंत्री ने कहा कि वे इसके संदर्भ में पूरी डिटेल पता करेंगे कि ये पैसे क्यों जारी नहीं किए गए हैं तथा कोशिश की जाएगी कि माननीय सदस्य ने जो कहा है उसको ध्यान में रखकर आगे की कार्रवाई की जाए।

(2) **श्री केवल सिंह पठानिया, उप-मुख्य सचेतक** ने पुहाड़ा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य के दौरान हुई तीन व्यक्तियों की मृत्यु के संदर्भ में शून्य काल के दौरान विषय उठाया। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब सदन लगा था तो एक मौत हुई थी और उसके अलावा थोड़ा नुकसान हुआ था। उसके लिए माननीय राजस्व मंत्री ने कहा था कि रिलीफ मैनुअल के आधार पर राहत दी जाएगी। वहां पर डिप्टी कमिश्नर भी जाएगा और नेशनल हाईवे के सारे मामलों को देखेगा। क्या डिप्टी कमीश्नर ने वहां जाकर अपनी रिपोर्ट दी है? स्पष्ट किया जाए।

माननीय राजस्व मंत्री ने उत्तर देते हुए कहा कि माननीय सदस्य श्री केवल सिंह पठानिया जी जो बात कह रहे हैं कि आश्वासन देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो यह विषय बहुत गंभीर है जिसका वे कड़ा संज्ञान लेते हैं और वे दिनांक 03 दिसम्बर, 2025 को इसकी विस्तृत रिपोर्ट माननीय सदन के पटल पर रखेंगे।

(3) **उप मुख्य सचेतक श्री केवल सिंह पठानिया और माननीय सदस्य श्री आर0एस0 बाली** ने हिमाचल प्रदेश में ओ0बी0सी0 के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने के संबंध में मुद्दा सदन में उठाया

और सरकार से आग्रह किया कि ओ0बी0सी0 समाज को 93वें संविधान संशोधन द्वारा दिए गए अधिकारों को सुनिश्चित किया जाए। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को समान रूप से 18 प्रतिशत किया जाए और 93वें संविधान संशोधन में दिए गए 27 प्रतिशत अधिकार को लागू करने के बारे में सरकार गंभीरता से विचार करे।

उक्त विषय पर **मा0 मुख्य मंत्री** ने कहा कि सभी बातों का कानूनी तौर पर अध्ययन करने के बाद ही इस पर कोई विचार किया जा सकता है।

माननीय सदस्य श्री आर0एस0 बाली ने पुनः कहा कि यह मुद्दा बहुत ही गंभीर है। इस विषय पर गहन चिंतन, गंभीर मंथन और ठोस निर्णय लेना अत्यंत आवश्यक है। 18 प्रतिशत जो अभी आरक्षण यूनिफॉर्म नहीं है कम-से-कम सरकार इसको सबसे पहले यूनिफॉर्म करे।

Ruling by the Hon'ble Speaker

"The issue which you (Hon'ble Member Shri Raghuvir Singh Bali) have raised, Hon'ble Chief Minister has already said that he will study this issue thoroughly as per the legal provision and the Constitutional Amendment which are referred by you and thereafter he will come to the House with the detailed reply."

(4) **माननीय सदस्य डॉ0 जनक राज** ने विषय उठाया कि उनके चुनाव क्षेत्र के भरमौर, मैहला, छतराड़ी और पांगी के किलाड़ क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों से सीवरेज का कार्य चल रहा है। यह कार्य बहुत धीमी गति से हो रहा है। सड़कों को उखाड़ दिया गया है जिससे लोगों को चलने में असुविधा हो रही है। जब विभाग से सड़कों को ठीक करने और जगह-जगह हो रही लीकेज को सुधारने की बात की जाती है तो विभाग इन बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा है। सरकार से आग्रह है कि इन स्थानों पर सीवरेज कार्यों से उत्पन्न कमियों को जल्द-से-जल्द दूर किया जाए ताकि लोगों को हो रही असुविधा से राहत मिल सके।

Ruling by the Hon'ble Speaker

"This House has taken cognizance of this serious issue and we will be asking the Department to look into this matter. The Hon'ble Minister In-charge will respond on the issue to the House."

(5) **माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा** ने श्री नैना देवी जी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत पीने के पानी और सिंचाई के लिए पानी की भयंकर समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने फील्ड स्टाफ की कमी का भी मुद्दा उठाते हुए माननीय मुख्य मंत्री से आग्रह किया कि वहां पर तुरंत कोई व्यवस्था की जाए। ठेकेदारों की पेमेंट शीघ्र की जाए ताकि वहां पीने के पानी और सिंचाई की स्कीमों की जल्द मरम्मत करवाकर इस समस्या का समाधान किया जा सके।

The Hon'ble Health & Family Welfare Minister(Authorized by the Deputy Chief Minister) said that the issue raised by Hon'ble Member Shri Randhir Sharmaji in this august House is of people oriented problems. Hon'ble Member has said that drinking water and irrigation pipes are broken and people are not getting water for drinking and for irrigation. The pipes are also not available. Secondly, there is shortage of staff also which is very serious issue. I will brief this issue to Hon'ble Deputy Chief Minister and definitely he will give you a detailed reply on this.

Ruling by the Hon'ble Speaker

"This House has also taken a cognizance on this very serious issue. We will be conveying it to the respective Department and we will definitely want the Hon'ble Deputy Chief Minister as and when he comes to the Vidhan Sabha; to respond to this issue."

व्यवस्था का प्रश्न

माननीय सदस्य श्री नीरज नैय्यर ने सदन के संज्ञान में विषय लाया कि वर्तमान नीति के अनुसार सरकार केवल ओलम्पिक, एशियाई खेलों और कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने पर ही आर्थिक सहायता देती है जबकि अन्य मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामैंटों की अनदेखी की जाती है। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि कम-से-कम मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामैंटों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के यात्रा टिकट, ठहरने और भोजन जैसी न्यूनतम आवश्यकताओं का खर्च सरकार स्वयं वहन करे ताकि इन खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन मिल सके।

Ruling by the Hon'ble Speaker

"Hon'ble Chief Minister and the Hon'ble Minister for the Sports & Youth Services has taken a cognizance of this matter and will be certainly looking into it."

2. साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्यः

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री ने वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य दिया।

3. स्वीकृत विधेयक सभा पटल परः

सचिव, विधान सभा ने हिमाचल प्रदेश लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2025 (2025 का अधिनियम संख्यांक 45) की एक प्रति सभा पटल पर रखी, जिसे सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त राज्यपाल महोदय से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

4. कागजात सभा पटल परः

(1) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्यमन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता (छठा संशोधन), 2025 जोकि अधिसूचना संख्याः HPERC/Supply Code/438, दिनांक 17.03.2025 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 28.03.2025 को प्रकाशित;

(ii) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग संसाधन पर्याप्तता विनियम के लिए ढांचा, 32025 जोकि अधिसूचना संख्याः HPERC/RA/TTE/0225, दिनांक 28.04.2025 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 02.05.2025 को प्रकाशित;

(iii) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग विचलन निपटान विनियम (द्वितीय संशोधन) तंत्र और संबंधित मामले, 2025 जोकि अधिसूचना संख्याः HPERC-H(1)25/2024, दिनांक 15.07.2025 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 18.07.2025 को प्रकाशित;

(iv) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम (संशोधन), 2025 जोकि अधिसूचना संख्याः HPERC/151-Vol-III-2081, दिनांक 10.09.2025 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 11.09.2025 को प्रकाशित; और

(v) कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 394 (2) के अन्तर्गत एसजेवीएन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2024-25 ।

5. सदन की समितियों के प्रतिवेदनः

(1) **श्री राम कुमार, सदस्य, कल्याण समिति (वर्ष 2025-26)** ने कल्याण समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(1) समिति का **44वाँ मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में संचालित **"मुख्यमन्त्री शगुन योजना"** की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित तथा **महिला एवं बाल विकास विभाग** से सम्बन्धित है; और

(2) समिति का **45वाँ कार्रवाई प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि **अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम (SCDP)** के अन्तर्गत **पशुपालन विभाग** द्वारा चलाए जा रहे विकासात्मक कार्यों/ योजनाओं की संवीक्षा पर आधारित समिति के **23वें मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) (वर्ष 2024-25) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत्त कार्रवाई पर आधारित तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है।

(2) **श्री संजय अवस्थी, सभापति, मानव विकास समिति (वर्ष 2025-26)** ने मानव विकास समिति का **31वाँ मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है, की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

6. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्तावः

(1) **श्री आर0 एस0 बाली, सदस्य** ने "To call the attention of the Chief Minister to the Shortage of Specialists & Facilities in Dr. Rajinder Prashad Govt. Medical College, Tanda." बारे **माननीय मुख्य मन्त्री** का ध्यान आकर्षित किया।

माननीय मुख्य मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(2) **डॉ0 जनक राज, सदस्य** ने "प्रदेश में न्यूनतम वेतन अधिनियम की व्यवस्था लागू करने बारे" सदन का ध्यान आकर्षित किया।

माननीय उद्योग मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

7. विधायी कार्यः

सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

(1) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 20) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 20) पुरःस्थापित हुआ।

(2) **श्री राजेश धर्माणी, नगर एवं ग्राम योजना मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि भू-संपदा (विनयमन और विकास) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 22) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

भू-संपदा (विनयमन और विकास) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 22) पुरःस्थापित हुआ।

8. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्तावः

(1) **श्री केवल सिंह पठानिया, उप-मुख्य सचेतक** द्वारा दिनांक 27.11.2025 को प्रस्तुत प्रस्ताव - **"प्रदेश में आई आपदाओं से प्रभावितों**

को आ रही मुश्किलों तथा इस अवधि में सरकार द्वारा किए गए कार्यों पर यह सदन विचार करे" पर आगे चर्चा जारी -

निम्नलिखित सदस्यों ने आगे चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री विपिन सिंह परमार

माननीय राजस्व मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया।

(16.32 बजे अपराह्न श्री संजय रत्न, सभापति पदासीन हुए।)

(2) श्री भुवनेश्वर गौड़

(3) श्री प्रकाश राणा

माननीय उद्योग एवं संसदीय कार्य मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया।

(4) कुमारी अनुराधा राणा

(5) श्री विनोद कुमार

(6) श्री नीरज नैय्यर

माननीय मुख्य मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया।

(7) श्री सुरेन्द्र शौरी

माननीय मुख्य मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया।

(8) कैप्टन रणजीत सिंह

नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रहेगी।

07.00 बजे अपराह्न मान्य सदन की बैठक मंगलवार, 02 दिसम्बर, 2025 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।